राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1528/2012/भीलवाडा

मैसर्स महावीर ग्रामोद्योग संस्थान बिगोद, भीलवाडा। .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, वृत बी, भीलवाडा। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री एम.पी.शर्मा, अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07.09.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 07.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एवं लिजिंग टैक्स, भीलवाडा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2009 के जरिये कायम की गयी मांग राशि को अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 में रिटर्न वेट 10 विलंब से पेश करने पर धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया, क्योंकि खादी ग्रामोद्योग संस्थान पंजीकृत है। खादी ग्रामोद्योग संस्थान से खरीद माल पर करारोपण किया गया। जिसके विरूद्ध अपील करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 07.05.2012 द्वारा प्रकरण निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। उक्त प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में व्यवहारी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित किये जाने की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपना आदेश पारित कर दिया है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अनुचित बतलाते हुए तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 07.05.2012 को प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया गया है। जिससे वर्तमान में लम्बित यह अपील निष्प्रभावी हो जाती है।

5. प्रकरण में उप राजकीय अभिभाषक ने प्राथमिक आपत्ति प्रकट करते हुए तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में अपने आदेश दिनांक 07.05.2012 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये है, चूंकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह विवादित अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दि. 07.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जो अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश की पालना होने से अस्तित्व में नहीं हैं, अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है। प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

लगातार.....2

6. उभयपक्ष की बहस, प्रस्तुत तथ्यों, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

7. रिकॉर्ड का परिशीलन से बिदित होता है कि व्यवसायी के कर निर्धारण आदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रमाण पत्र के अभाव में कर राशि रूपये 19,513/– आरोपित की गई है। कर निर्धारण आदेश में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। चूंकि प्रकरण को उपायुक्त (अपील्स) ने अपील में विवादित सभी बिन्दुओं को पुनः जांच हेतु आदेश दिनांक 07.05.2012 द्वारा प्रतिप्रेषित कर दिया है। अतः बोर्ड के स्तर पर अपील सारहीन होने के कारण निष्प्रभावी (infructions) हो गई है।

परिणामतः अपील "सारहीन" होने के कारण खारिज की जाती हैं।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

(मदन लाल मालीवय)
सदस्य